

15.3.22 पत्रावली पेश हुई। प्राची व प्राची-कील
कोई उपस्थित नहीं आए। प्राची व प्राची
अधिवक्ता को न्यायालय समय तक बार-
बार आवाजे लगावई गई। फिर भी
अनुपस्थित रहे। तथा नाही अजायबों की
गिरी करई गई।

अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम परखी
एवं अन्तर्गत आदेश 09 निमम 05 के
के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर
नाखिल रफ्तार हो। निर्णय लिखा जाकर
सबले न्यायालय में सुनाया गया। (५)

